# सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-391/2022 दिनांक- 26-नवम्बर-2022

**प्रेस-विज्ञप्ति**

**थाना कोतवाली आजमगढ़**

**शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना – वादिनी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 25.11.22 को दिये गये प्रार्थना पत्र जिसमें आदित्य राज वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी भीटी चौक थाना कोतवाली जनपद-मऊ द्वारा वादिनी के साथ पति पत्नी के रूप में रहते हुए शादी से इन्कार करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 548/22 धारा 376,406 भादवि पंजीकृत किया गया। जिसमें अभियुक्त आदित्य राज उपरोक्त वांछित था।**

**गिरफ्तारी का विवरण** - नि0अ0 राजेश सिंह, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आदित्य राज वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी भीटी चौक थाना कोतवाली जनपद- मऊ को रोडवेज बस स्टैण्ड के पास से दिनांक 26.11.22 को समय 14.20 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण** – 1. मु0अ0सं0 548/22 धारा 376,406 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण** - 1. आदित्य राज वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी भीटी चौक थाना कोतवाली जनपद-मऊ

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण** –

**1.प्र0नि0 शशीचन्द्र चौधरी मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़ ।**

थाना बिलरियागंज

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 23.11.2022 को वादिनी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि प्रतिवादी अनिल सरोज पुत्र राममूरत सरोज द्वारा वादिनी की विवाहिता पुत्री को शादी का झांसा देकर शारिरीक शोषण करना व मारपीट, गाली गलौज घर से भगा ले गया तथा पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 व 164 द0प्र0सं0 के आधार पर मु0अ0सं0 260/2022 धारा 376/323/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 26.11.2022 को उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराहीयान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त वांछित अभियुक्त अनिल सरोज उपरोक्त को सेठारी तिराहा के पास से समय करीब 12.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अनिल सरोज पुत्र राममूरत सरोज साकिन सेठारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 260/2022 धारा 376/323/504/506 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

**थाना- दीदारगंज**

**दहेज हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व का विवरण-** वादी मुकदमा श्री राकेश पाठक S/O सीताराम पाठक निवासी ग्रा0व पो0 नसिरुद्दीनपुर त0 सदर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादी की बहन चन्दन पाठक उम्र 25 वर्ष जिसकी शादी ग्राम गोसडी थाना दीदारगंज आजमगढ मे राहुल पाण्डेय के साथ हुई थी। पति व ससुराल के लोगो द्वारा दहेज की मांग को लेकर आवेदक की बहन चन्दन पाठक को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताडित करना,दहेज न मिलने पर आवेदक की बहन चन्दन पाठक को दिनांक 24.11.2022 को समय 18.30 बजे शाम मे हत्या कर देने के सम्बन्ध मु0अ0स0 290/22 धारा 498A,304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1.राहुल पाण्डेय (पति)पुत्र स्व0 पारसनाथ पाण्डेय 2. इन्दू पाण्डेय(सास) पत्नी स्व0 पारसनाथ पाण्डेय 3.सुन्दरी उर्फ प्रतिमा(ननद) पुत्री स्व0 पारसनाथ पाण्डेय 4. व जेठान नाम अज्ञात साकिनान ग्राम गोसडी थाना दीदारगंज आजमगढ पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त फरार चल रहे थे।

**गिरफ्तारी का विवरण:-**

आज दिनांक 26.11.2022 को प्रभारी निरीक्षक दीदारगंज विजय प्रताप सिह मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. राहुल पाण्डेय पुत्र स्व0 पारसनाथ पाण्डेय 2. इन्दू पाण्डेय पत्नी स्व0 पारसनाथ पाण्डेय ग्राम गोसडी थाना दीदारगंज आजमगढ को अभियुक्त के घर ग्राम गोसड़ी से समय करीब 6.15 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग**–

1-मु0अ0स0 290/22 धारा 498ए,304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता** –

1. राहुल पाण्डेय पुत्र स्व0 पारसनाथ पाण्डेय ग्राम गोसडी थाना दीदारगंज आजमगढ
2. इन्दू पाण्डेय पत्नी स्व0 पारसनाथ पाण्डेय ग्राम गोसडी थाना दीदारगंज आजमगढ

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1. प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़

## थाना सिधारी,आजमगढ़

## जमीन बैनामा के नाम पर आपस मे साजिश करके 78 लाख रूपये धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना** ..वादी मुकदमा श्री मु0अतहर पुत्र सलाहुद्दीन सा0 गौरडीहखालसा थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक- 9.9.2022 को विपक्षी 1.ईश्वरचन्द पुत्र शिवप्रसाद 2.शिवप्रसाद पुत्र रामकुसुन निवासी गण ममरखापुर थाना सिधारी आजगमढ़ 3.अरुणा पत्नी ऋषिकेश 4.अमित 5.सुमित पुत्रगण ऋषिकेश पता अज्ञात 6.विजयलक्ष्मी पत्नि ईश्वरचन्द सा0 ममरखापुर थाना सिधारी आजमगढ़ 7.माधुरी पत्नी संतोष 8.संतोष पुत्र लालबिहारी निवासीगण बभनौली थाना तरवाँ आजमगढ़ के द्वारा जमीन बैनामा के नाम पर आपस मे साजिश करके प्रार्थी को क्षति पहुँचाने के नियत से प्रार्थी को धोखा देकर 78 लाख रुपये ले लिया गया तथा वादी मुकदमा के भाई अशरफ द्वारा बैनामे करने हेतु कहने पर जबरदस्ती गाड़ी मे बैठाकर अपहरण किया गया, के सम्बन्ध मे प्राप्त प्रा0पत्र के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 334/22 धारा 419/420/406/504/506/364 भादवि के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है ।

**गिरफ्तारी का विवरण**- आज दिनांक 26.11.2022 को व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त ईश्वरचन्द पुत्र शिवप्रसाद निवासी ममरखापुर थाना सिधारी आजगमढ़ उम्र करीब 34 वर्ष को उसके घर ग्राम ममरखापुर से समय 10.05 बजे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण**- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मै और अतहर काफी अच्छे दोस्त है तथा अतहर मुझपर काफी विश्वास करते है । मैने उन्हे ग्राम छतवारा में अमित श्रीवास्तव के पट्टिदारो का खेत खरिदवाया था तथा उनके बगल में अमित श्रीवास्तव आदि की करीब 39 विस्वा जमीन है जिसे अतहर खरीदना चाहते थे जिसके लिये मैने करीब 2 वर्ष पूर्व नैनी प्रयागराज में रह रहे अमित श्रीवास्तव के घर जाकर बेचने हेतु बातचीत किया परन्तु अमित व उसकी मां श्रीमति अरुणा श्रीवास्तव द्वारा बेचने से मना कर दिया । तब मैने फायदा उठाने के लिये अतहर को बताया कि वो लोग 2 लाख रुपया विस्वा की दर से जमीन बेचने को तैयार है तथा फोन पर मैने दूसरे व्यक्ति को अमित बनाकर बात कराया तथा विश्वास हो जाने पर सौदे के हिसाब से अतहर ने 8 चेक अमित , सुमित व श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव के नाम से 39 लाख रुपये का दे दिया जो उनके HDFC बैंक के खाते का था । मेरा बन्धन बैंक आजमगढ़ में खाता है तथा वहां पर काम करने वाले कर्मचारी कृष्णा वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी तरवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़ से मेरा अच्छा परिचय था जिससे बात करके मैने अमित श्रीवास्तव , सुमित श्रीवास्तव व अरुणा श्रीवास्तव का खाता दूसरे की फोटो फार्म पर लगाकर तथा कृष्णा वर्मा से वेरिफाई कराकर व उनके कुटरचित आधार कार्ड लगाकर खुलवा दिया । अमित के खाते का नम्बर 50200029105939 अरुणा श्रीवास्तव का नम्बर 50200027525572 तथा सुमित कुमार का खाता न. 50200025707175 है जिसमें मैने अतहर से प्राप्त सारे चेक जमा करके कृष्णा वर्मा की सहायता से निकाल लिया तथा यह पैसा हमने अपने खाता संख्या 50459538794 तथा पिताजी के खाता 20251736895 में ड्रा किया है तथा बाकी पैसा मैने अपने दोस्तो व परिचितो के खाते में ट्रान्सपर कर लिया । इसके बाद मैने बैनामा कराने के नाम पर अपने घर पर अतहर से 39 लाख रुपये कैश भी लिया । अतहर के साथ नन्दलालयादव भी आया था एक दिन घर पर अतहर का भाई अशरफ भी बैनामा का तगादा करने आये थे तो मेरी बहन माधुरी बहनोई संतोष तथा पत्नी विजय लक्ष्मी उर्फ रोली तिवारी से बाद बिवाद व गाली गलौज हुआ था हम लोग उन्हे जबरदस्ती गाड़ी मै बैठाकर कहीं नही ले गये थे यह आरोप झूठा है धोखा देकर लिये गये 78 लाख रुपयो के सम्बन्ध में पूछने पर वह कुछ नही बता रहा है ।

**पंजीकृत अभियोग** –

1- मु0अ0सं0 334/22 धारा 419/420/406/504/506/364 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त ।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1. ईश्वरचन्द पुत्र शिवप्रसाद निवासी ममरखापुर थाना सिधारी आजगमढ़ उम्र करीब 34 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़

**थाना- महराजगंज**

**दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार**

**1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-** अभियुक्त छोटेलाल उर्फ मोछू पुत्र रामदरश निषाद सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ जबरदस्ती अवैध सम्बन्ध बनाया गया व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 440/22 धारा 376, 506 भादवि पंजीकृत किया गया।

**2. गिरफ्तारी की विवरण-** दिनांक 26.11.2022 को थानाध्यक्ष श्री कमलकान्त वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त छोटेलाल उर्फ मोछू पुत्र रामदरश निषाद सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को चिकनहवा ढाला से समय करीब 08.10 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया।

**4. पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 440/22 धारा 376, 506 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

**5. आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त**

**6. गिरफ्तार अभियुक्त-**

1-छोटेलाल उर्फ मोछू पुत्र रामदरश निषाद सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

**1-**थानाध्यक्ष श्री कमलकान्त वर्मा मय हमराह का0 शुभम यादव, का0 संगम कुमार, म0आ0 रागिनी सिंह थाना महराजगंज आजमगढ।